

प्रेसनोट दिनांक 29.07.2021

1. दिनांक 28.07.21 को वादी श्री सुधांशू तिवारी रघुनाथ तिवारी नि० पौसरा थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 क्यू 3267 का चालक अनिल कुमार गुप्ता पुत्र रामेश्वरदीन गुप्ता नि० ददेरा पूराबाजार थाना महाराजगंज अयोध्या वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की मो०सा० में टक्कर मार देना जिससे वादी को गम्भीर चोटें आना तथा मो०सा० क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 484/21 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 28.07.21 को वादी उ०नि० श्री संदीप कुमार त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राघव प्रसाद पुत्र संतोषी नि० यू ब्लॉक सर्वेन्ट क्वाटर सदर बाजार थाना कैण्ट अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 294/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 28.07.21 को वादी उ०नि० श्री संदीप कुमार त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लल्लू लाल पुत्र केवल राम नि० यू ब्लॉक सर्वेन्ट क्वाटर सदर बाजार थाना कैण्ट अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 295/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 28.07.21 को वादी उ०नि० श्री रजत पाण्डेय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अरविन्द निषाद पुत्र गुलई निषाद नि० निर्मली कुण्ड थाना कैण्ट अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 297/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 28.07.21 को वादी उ०नि० श्री अर्जुन यादव थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि इजहार पुत्र अतवारी नि० रौकवां ऊँचगांव थाना गोसाईगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 1085 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 219/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 28.07.21 को वादी श्री चॉद अली पुत्र स्व० हबीब नि० खुशहालगंज थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गुलाम मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अली नि० खुशहालगंज थाना महाराजगंज अयोध्या आदि 04 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि०गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए वादी व उसके पुत्र को मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 261/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 28.07.21 को वादी का० अंशुल यादव थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हितलाल पुत्र राम अजोर नि० शंकरपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 367/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 28.07.21 को वादी उ०नि० श्री दिवाकर कुमार थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि चॉद बाबू पुत्र मो० समीम नि० मांझा सोनौरा थाना हैदरगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 01 अदद तमंचा 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 168/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 28.07.21 को वादी उ०नि० श्री अमर बहादुर पटेल थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मोहन लाल निषाद पुत्र बिन्देश्वरी प्रसाद नि० केवटहिया थाना हैदरगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 170/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 28.07.21 को वादी श्री विश्वनाथ प्रसाद यादव प्रभारी निरीक्षक मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1.सिराज खान पुत्र झबू खॉ नि० कुलहन सराय थाना खैराबाद सीतापुर 2.रियाज खॉ पुत्र वकील खॉ नि० नरियन टोला थाना तम्बौर सीतापुर 3.आमिर खॉ पुत्र मुसीर खॉ नि० सितर उत्तरी थाना तम्बौर सीतापुर 4.

कासिम पुत्र कबीर नि० भदेवा थाना थानगांव सीतापुर उक्त सभी गिर० 5.इसरार पुत्र मुसीर अहमद नि० छुनैना थाना काकोरी लखनऊ दक्षिणी बिना नम्बर की सफेद कार पर सवार बदमाशो को पुलिस द्वारा रोके जाने पर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करना जिससे का० सुनील कुमार का घायल हो जाना तथा मुठभेड़ के दौरान अभि० सिराज खान, रियाज खान व आमिर खॉ का घायल हो जाना तथा इनके कब्जे से थाना को०नगर से संबंधित चोरी का 15000 रूपये बरामद होना। अभि० सिराज खान के कब्जे से 01 अदद पिस्टल, 01 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर, अभि० सिराज खॉ के कब्जे से 01 अदद तमंचा 03 अदद जिन्दा व 03 अदद खोखा कारतूस 12 बोर, अभि० आमिर खॉ के कब्जे से 01 अदद तमंचा 03 अदद जिन्दा व 03 अदद खोखा कारतूस 12 बोर, अभि० कासिम के कब्जे से 01 अदद तमंचा 01 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 199/21 200/21 201/21 202/21 203/21 धारा 307, 41/411 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट 3/25 आर्म्स एक्ट 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।